न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
67/प्रा0पत्र/2020	12.10.2020	12.03.2021

नासिर खान आ0 ख्वाजू खान निवासी 3–म–36, गांधीग्रह विज्ञान नगर कोटा, जिला कोटा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. धर्मचन्द जैन आ0 जुगराज जैन जाति महाजन निवसी 539, महावीर नगर प्रथम कोटा जिला कोटा
2. सत्यनारायण मीणा आ0 रामेश्वर मीणा जाति मीणा निवासी मकान नं. 42, पत्रकार परिसर, महावीर नगर प्रथम कोटा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
3. पवन कुमार मीणा आ0 कन्हैया लाल मीणा जाति मीणा निवासी लाडनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)
4. पप्पू लाल मेघवाल आ0 कालूलाल मेघवाल निवासी ग्राम मेघवालो का मोहल्ला जाखमुण्ड तहसील तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. घनराज आ0 भगवान जाति रेगर निवासी रेगरो का मोहल्ला जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. राजस्थान राज्य जर्ये उपपंजीयक तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री लीलाधर सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:– श्री अरविन्दप्रकाश शर्मा

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवान का माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है।
2. यह कि पार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन के मध्य 8–10 वर्षों से अच्छे संबंध थे इस कारण दोनों ने मिलकर कई जगह जमीनों की एक साथ रकम लगाकर प्लानिंग भी की इस कारण दोनों की अच्छी जान पहचान थी एवं दोनों एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते थे।
3. यह कि कृषि भूमि ख0सं0 363 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं कृषि भूमि ख0सं0 364 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा एवं कृषि भूमि ख0सं0 366 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा एवं कृषि भूमि ख0सं0 331/1 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं ख0सं0 375 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में से 17/40 हिस्सा वाके ग्राम जाखमुण्ड पटवार हल्का जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त खातेदारी की कृषि भूमियों को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने फार्महाउस की प्लानिंग करने के लिए खरीदने हेतु खातेदारान से प्रार्थी नासिर खान ने सम्पर्क किया एवं उक्त भूमियों का सौदा तय किया एवं उक्त भूमियों के खरीद की सम्पूर्ण रकम खातेदारान को प्रार्थी नासिर खान ने अदा की एवं उक्त भूमियों का मोके पर कब्जा भी खातेदारान से प्रार्थी नासिर खान ने प्राप्त किया। चूंकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियां अनुसूचित जनजाति की होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम उक्त भूमियो की रजिस्ट्रीयां नहीं होने के कारण दोनो ने तय किया कि उक्त भूमियों की रजिस्ट्रीया अपने मिलने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम करवा देगें। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन प्रार्थी के मध्य अच्छे व्यवसायिक व वैश्वासिक संबंध में थे इस कारण अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन ने प्रार्थी से कहा कि मेरे यहाँ सत्यनारायण मीणा व पवन कुमार मीणा नाम के दो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नौकरी करते है जो मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति है। हम उक्त भूमि की रजिस्ट्री इन दोनों के नाम करवा देते है, जब भी हम

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्लानिंग करेगें तब इनसे हस्ताक्षर करवाकर खरीददार के नाम हम दोनों मिलकर सौदा कर देगें एवं अप्रार्थी सं0 1 कहा कि उक्त दानो व्यक्ति सौदे पर हस्ताक्षर कर देगें क्योंकि उक्त दोनों व्यक्ति मेरे निजी विश्वास पात्र व्यक्ति है जो मेरे कहे अनुसार कार्य करते है तो प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 उक्त बातो पर विश्वास करके उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियों ख0सं0 363,364,366,331/1, 375 वाके ग्राम जाखमुण्ड के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2015 व 09.03.2016 को अप्रार्थी सं0 2 सत्यनारायण व अप्रार्थी सं0 3 पवन कुमार मीणा के नाम खातेदारान से निष्पादित करवा दी। उक्त कृषियों के सम्पूर्ण प्रतिफल की रकम खातेदारान को पार्टनर की हैसियत से प्रार्थी नासिर खान ने गवाहान के सामने अदा की एवं उक्त भूमियों का कब्जा भी मौके पर खातेदारान से नासिर खान ने सम्भाला।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित उक्त कृषि भूमियों के समीप ही अन्य खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा सं0 353 व 354 भी विस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों को प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन ने संयुक्त रूप से आधे आधे पैसे लगाकर उक्त कृषि भूमि को खरीद किया एवं उक्त कृषि भूमियों में ताजग्रीन फार्महाउस बनाकर प्लानिंग करने हेतु दानों के बीच तय हुआ। चूंकि दोनों के मध्य पूर्व में अच्छे संबंध थे इस कारण दोनों ने यह सौदे संयुक्त रकम लगाकर तय किये जिसके बाबत दोनो के मध्य कोई लिखा पढ़ी नही हुई थी। उक्त ग्राम जाखमुण्ड की कृषि भूमि में कुछ सिवायचक भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कब्जाधारियों से मुख्तारनामा अधिकार प्रार्थी नासिर खान के नाम प्राप्त किये एवं उक्त भूमियों पर कब्जा प्राप्त किया एंव उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों के चारों और प्रार्थी नं बाउन्ड्रीवॉल करवाकर गेट बनाया एवं एक कमरा बनवाया।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित भूमियों को प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन ने शामिल में रकम लगाकर खरीद की है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 की बातो पर विश्वास करके उक्त ख0सं0 363,364,366,375 वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी को अप्रार्थी सं0 2 सत्यनारायण मीणा व अप्रार्थी सं0 3 पवन कुमार मीणा के नाम से खरीद ली लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित कृषि भूमियों की खरीद की सम्पूर्ण रकम प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन की और से प्रार्थी नासिर खान ने संयुक्त रूप से मूल खातेदारो को अदा की एवं उक्त कृषि भूमियों को खरीद करने के बाद से ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का उक्त कृषि भूमियों पर संयुक्त व समान अधिकार व अधिपत्य व साझेदारी चली आ रही है। उक्त भूमियो के चारो ओर बाउण्ड्री व गेट एवं कमरा प्रार्थी ने निर्मित करवाया इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की खरीदशुद्धा कृषि भूमियां है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों से अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम रजिस्ट्री होने के अलावा अन्य कोई अधिकार नही है। केवल अप्रार्थी सं0 2 व 3 डमी पक्षकार है। इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का उक्त भूमियों में समान अधिकार होने से एवं काबिज काश्त होने से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा का बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रार्थी माननीय न्यायालय से करवाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन के मध्य उक्त संयुक्त व्यवसाय व साझेदारी के कार्य के लिए पूर्व में कोई लिखा पढ़ी नही हो रही थी। इस कारण ग्राम जाखमुण्ड में ताजग्रीन फार्महाउस के लिए खरीद की गई। उक्त भूमियों की साझेदारी के लिए प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन के मध्य उक्त कृषि भूमियों ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा के बाबत् एक इकरारनामा बाबत साझेदारी विलेख दिनांक 15.10.2015 को 500/–रूपये के नोनजुडिशियल स्टाम्प पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने संयुक्तरूप से लिखाया एवं उसी के अनुसार प्रार्थी नासिर खान ने प्रतिफल अदा किया एवं उक्त भूमियों के बाउण्ड्री करवाई, गेट लगवाया, रोड बनवाये, कमरा बनावाया एवं प्रार्थी ने विश्वास में आकर अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन के नौकर सत्यनारायण मीणा व पवन कुमार मीणा के नाम उक्त खातेदारी की भूमियों की रजिस्ट्री करवा दी, जिसकी खरीद की सम्पूर्ण रकम में से आधी रकम प्रार्थी ने व आधी रकम धर्मचन्द जेन ने दी है। इस कारण उक्त भूमियों पर सत्यनारायण व पवन कुमार का कोई अधिकार नही है। केवल वे डमी पक्षकार है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियों ख0सं0 सं0 363,364,366,375 वाके ग्राम जाखमुण्ड पर खरीद से आज तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं उक्त भूमियों के खरीद की सम्पूर्ण रकम मूल खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की ओर से प्रार्थी ने अदा की है। इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियों ख0सं0 363,364,366,375 वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा में प्रार्थी अपने व अप्रार्थी सं0 1 के अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने का अधिकारी है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियों के खाते से अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम विलोपित करवाकर खाते में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का नाम बराबर हिस्से में दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

7. यह कि उक्त साझेदारी विलेख लिखने से पूर्व दोनों साझेदारो प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से उक्त भूमि में सम्पूर्ण कार्य करने हेतु ताजग्रीन फार्महाउस के नाम प्लानिंग करने हेतु धर्मचन्द जैन ने प्रार्थी नासिर खान को अधिकृत किया जिसके आधार पर प्रार्थी ने ग्राम जाखमुण्ड की उक्त भूमियो के चारो ओर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करवाया, गेट बनवाया एवं फार्महाउस के लिए अन्य निर्माण करवाया एवं भूमि को समतल व फार्म हाउस के रूप में निर्मित करवाने के लिए कार्य किया जिसका सारा पैसा प्रार्थी ने साझेदार के रूप में खर्च किया। जब प्रार्थना पत्र की चरणसं0 3 में वर्णित कृषि भूमियों व अधिकार प्राप्त कब्जे की कृषि भूमियों पर ताजग्रीन फार्म हाउस का निर्माण हो गया तो प्रार्थी नासिर खान व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन ने साझेदारी की उक्त ताजग्रीन फार्महाउस प्राजेक्ट के एनोग्रशन व लोंचिंग का कार्यक्रम दिनांक 16.11.2014 को दोनो साझेदारों ने संयुक्त रूपये लगाकर आयोजित किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जेन के मध्य ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा की उक्त ताजग्रीन फार्महाउस प्लानिंग के लिए जो साझेदारी विलेख दिनांक 15.10.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य निष्पादित किया गया उसके बाद प्रार्थी उक्त फार्म हाउस की देखरेख व विकास एवं अन्य सभी कार्य करता व करवाता चला आ रहा है। उक्त ताजग्रीन फार्महाउस वेदांत इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बडगांव नाका रोड के पास एन.एच. 12 फोरलेन बून्दी, डाबी बाईपास रोड ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा के विकास व देखरेख व चोकीदारी के लिए अप्रार्थी सं0 4 पप्पूलाल मेघवाल व अप्रार्थी सं0 5 धनराज रेगर को प्रार्थी नासिर खान ने अन्य गवाहान के सामने वहॉ पर रखा जो उक्त फार्महाउस की देख–रेख व चौकीदारी करते चले आ रहे थे जिनके वेतन का भुगतान प्रार्थी अदा करता चला आ रहा है। इस कारण उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रतिफल अदा करके अपने विश्वास पात्र व्यक्ति सत्यनारायण व पवन कुमार के नाम करवाई लेकिन स्वामित्व अधिपत्य एवं कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का रहा है। इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय से उक्त भूमि का बंटवारा व घोषणा वाद में वर्णित अनुसार करवाने का अधिकारी है।

8. यह कि कुछ समय से अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन के मन में बदयान्ति आने लगी जब प्रार्थी उक्त फार्महाउस में प्लानिंग करके बेचान करने के लिए कहता तो अप्रार्थी सं0 1 टालमटोल करने लगा कुछ व्यक्तियों को भूखण्ड भी बेचान किये लेकिन अप्रार्थी सं0 1 अरूची दिखाने लगा। इसी दोरान अप्रार्थी सं0 1 धर्मचन्द जैन ने अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 के साथ आपसी षडयंत्र रचकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित सम्पुर्ण कृषि भूमियों व ताजग्रीन फार्महाउस को हडपने के लिए योजाना बनाई। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 सत्यनारायण मीणा व अप्रर्थी संख्या 3 पवन कुमार मीणा दोनो अप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन के यहां नौकरी करते है एवं उसके विश्वास पात्र व्यक्ति है जिनको अपनी ओर मिलाकर एवं अप्रार्थी संख्या 4 पप्पुलाल मेघावाल व अप्रार्थी संख्या 5 धनराज रेगर को भी अपनी ओर मिलाकर अप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन ने योजनाबद्व तरीके से षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी की राशी, हिस्सेदारी व भूमि व हक व अधिकार को हडपने के लिए प्रार्थी के खिलाफ झूट कार्यवाहियां करवाना शुरू कर दिया एवं झूठे मूकदमें दर्ज करवाना शुरू कर दिया । जिसके तहत प्रार्थी के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने योजनाबद्व तरीके से थाना तालेडा में मुकदमा संख्या 88/2020 दर्ज करवा दिया एवं उक्त ताजग्रीन फार्महाउस के नाम से स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके हडपने की कोशिश की एवं प्रार्थी को उक्त भूमियों पर आने जाने में बाधा पहुचाने लगे एवं जबरन ताला लगा दिया एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पहुचा रहे है एवं प्रार्थी को धमकी लगाई है कि मौके पर आये तो मारपीट करेगे एवं धारा 3 के झूठे केसो में उलझा देगें इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को माननीय न्यायालय से इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि अप्रार्थी 1 लगायत 5 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमियों खसरा संख्या 363,

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा (राज0)

Scanned with CamScanner

364, 366, 375 व कब्जे काश्त की कृषि भूमियों वाके ग्राम जाखमुण्ड पर निर्मित ताजग्रीन फार्म हाउस की भूमियों पर जबरन कब्जा न करे, अतिक्रमण न करे, रहन बेचान व भारग्रस्त नहीं करें, खुर्द बूर्द नहीं करे, प्राथी को भूमियों पर आने जाने से व उपयोग उपभोग करने मे बाधा नहीं पहुचाये, प्रार्थी को उक्त भूमियों से बेदखल नहीं करे मुख्य गेट पर ताला नहीं लगवाये, प्रार्थी व उसके प्रतिनिधियो से लडाई झगडा नहीं करे उक्त भूमियों में निहित प्रार्थी के 1/2 हिस्से तक प्रार्थी को निर्माण करने, भूखण्ड बेचान करने से नही रोके, जब तक उक्त भूमियों का बटवारा नहीं हो जाये तब तक उक्त भूमियों का रहन बेचान एवं किसी भी प्रकार से अन्तरण नही करे, कन्वर्जन नहीं करवाये, ऐसा कार्य अप्राथी 1 लगायत 5 न तो स्वयं करे न ही अपने अन्य प्रतिनिधियो से करवाये एवं अप्रार्थी सख्या 6 व 7 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उनके यहां प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी नामान्तरण के दस्तावेजो को तस्दीक नहीं करे एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

9. यह कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन उक्त सम्पत्ति में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार, साझेदार है एवं प्रार्थी भी 50 प्रतिशत का हिस्सेदार है एवं अप्रार्थी सख्या 1 से अधिक राशि प्रार्थी ने खर्च की है लेकिन अप्रार्थी सख्या 1 धर्मचन्द जैन के मन मे बदयान्ति आ गई है इस कारण वह अपने व्यक्तियो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम उक्त भूमियों की रजिस्ट्रीयां होने का फायदा उठाकर उनके मार्फत सम्पूर्ण भूमि व फार्महाउस को हडप कर प्रार्थी को उसके हक व अधिकारो व आधे हिस्से से वंचित करना चाहता है इसी कारण प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र पूर्वक अमानत मे ख्यानत करने की नियत प्रार्थी के खिलाफ मुकंदमा संख्या 88/20 थाना तालेडा में अप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन अप्रार्थी संख्या 2 सत्यनारायण के मार्फत दर्ज करवा दिया जबकि उक्त भूमि व ताजग्रीन से सत्यनारायण व पवन कुमार का कोई लेना देना नही है लेकिन दोनो आप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन के निजी व्यक्ति होन के कारण प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण दर्ज करवाकर प्रार्थी की आधी भूमि, रूपयो आदि को हडपना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 धर्मचन्द जैन ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को उक्त प्रकरण मे आगे कर रखा है एवं पीछे से उनको अप्रार्थी संख्या 1 पूर्ण रूप से सपोर्ट करके प्रार्थी को नुकसान पहुचाने पर आमादा हो रहे है इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी को धमकी लगा रहे है कि फार्महाउस पर मत जाना अन्यथा झूठे मुकदमों में फसा देंगे एवं जेल में भिजवा देगे इस कारण प्रार्थी ने भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध थाना तालेडा में रिपोर्ट पेश की है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र चरण की संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों पर नही जाने दे रहे है एवं लगातार धमकिया लगा रहे है एवं अभी 10–15 दिन पूर्व भी प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने धमकी लगाई है कि उक्त भूमियो व ताजग्रीन फार्महाउस पर मत जाना अन्यथा दूसरे झूठे केसो में फसा देगें।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमियो प्रार्थी व अप्राथी संख्या 1 ने संयुक्त राशि लगाकर सांझेदार के रूप में खरीद की है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमियों को अकेला हडपना चाहता है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया है एवं अप्राथी संख्या 2 व 3 के नाम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमियो की रजिस्ट्रीयां करवा दी इसके अलावा उनका कोई अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर उक्त भूमियो को रहन बेचान करने पर आमादा हो रहे है एवं हडपने पर आमादा हो रहे है इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाया है एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अवेध कृत्य में सहयोग कर रहे है इस कारण पक्षकार बनाया है एवं अप्रार्थी संख्या 6 लेण्ड होल्डर व भू–स्वामी होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 7 के यहां पर अप्राथी 2 व 3 के द्वारा भूमि को रहन, बैचान का पंजीयन करवाने की संभावना होने के कारण उन्हें उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

11. यह कि वाद पत्र विचारण मे काफी विलम्ब होने की संभावना है इसलिए दौराने वाद अप्रार्थीगण को जयें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

यह कि प्रथम दृष्टया वाद केस एवं सुविधा सन्तुलन का भार भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया साबित होता है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थी 1 लगायत 5 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमियों खसरा संख्या 363, 364, 366, 375 व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम जामखण्ड पर व उस निर्मित ताजग्रीन फार्महाउस की भूमियो पर जबरन कब्जा नही करे, अतिक्रमण नही करे, रहन बेचान व भाग्रस्त नही करे, खुर्द बूर्द नही करे , प्रार्थी को उक्त भूमियो पर आने जाने से व उपयोग उपभोग करने मे बाधा नही पहुचाये। प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नही करे मुख्य गेट पर ताला नही लगाये, प्रार्थी व उसके प्रतिनिधियो से लडाई झगडा नही करे उक्त कृषि भूमियो में निहित प्रार्थी के 1/2 हिस्से तक प्रार्थी को निर्माण करने, भू-खण्ड बेचान करने से नही रोके जब तक उक्त भूमियो का बटवारा नही हो जाये तब तक उक्त भूमियों का रहन बेचान एवं किसी भी प्रकार से अन्तरण नही करे, कन्वर्जन नही करवाये ऐसा कार्य अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 न तो स्वयं करे न ही अपने अन्य प्रतिनिधियो से करवाये एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उनके यहां प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी नामान्तरण के दस्तावेजो को तस्दीक नही करे एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियो के संबंध में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे अन्य न्यायोचित सहायत जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे ।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण 1 में वर्णित तथ्यों में उक्त शीर्षक का वाद पेश होना स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 से सम्बन्धित नहीं है । अतः पृथक से प्रत्युतर अपेक्षित नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्यो में ग्राम जामखण्ड में कृषि भूमि होना स्वीकार है, शेष तथ्य बनावटी व असत्य होने से स्वीकार है। सम्पूर्ण के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है तथा कय प्रतिफल अप्रार्थी संख्या सं0 2 व 3 द्वारा ही भुगतान किया गया है। इसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी के मध्य इस प्रकार की सहमति रही है, इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यवहार करने या उसके संबंध में किसी भी प्रकार की आपसी सहमति बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के आधिपत्य, स्वामित्व व खाते की भूमि है जिसका अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, इस चरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के सम्बन्ध में जो तथ्य में अंकित है उसका अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी के अलावा मौके पर भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नही है। प्रार्थी द्वारा जबरदस्ती भूमि पर घूसने का प्रयास करने पर अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा हैं। प्रार्थना पत्र की चरण 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त भूमि का कय प्रतिफल केवल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ही भुगतान किया गया है जो बैंक खाते से चेक द्वारा किया गया है। रकम बैंक में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वयं के खाते की व स्वयं की अर्जित रकम है इसका प्रार्थी व अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, भूमि पर वास्तविक कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ही है एवं भूमि के वास्तविक स्वामी व खातेदार भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। जैसाकि निवेदन किया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 363,364,366, 331/1 व 375 जिसमें से वाद पत्र में खसरा संख्या 331/1 को मिटाया हुआ है लेकिन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। जिसका रिलीफ प्रार्थना पत्र में भी देय नहीं है। समस्त भूमि अप्रार्थीगण की स्वअर्जित आय से खरीदी गई भूमि हैं। जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के आधिपत्य व खाते में दर्ज है प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि करना अस्वीकार है। जो भी निर्माण कार्य कराया गया है वह अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ही कराया गया है जिसका भुगतान भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ही किया गया है प्रार्थी व अन्य किसी भी प्रकार का भूमि में लेना देना नहीं है प्रार्थी व अन्य का भूमि में किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
हालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

हिस्सा नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य क्या विवाद है एवं क्यो उक्त वाद प्रस्तुत किया गया इस सब बातो से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का कोई लेना देना नहीं है भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम होना भी संभव नही है धारा 42 टिनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रार्थी भूमि को न तो अपने नाम कराने की घोषणा माननीय न्यायालय से कराने का अधिकारी है न ही कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त वाद बिना किसी औचित्य व क्षेत्राधिकार के प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित सभी तथ्य बनावटी व असत्य होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी 1 व प्रार्थी के मध्य क्या व्यवहार होता रहा है इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी के मध्य कोई सोझेदारी संबंधी विवाद हो तो भी वह माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नही है क्योकि इस सम्बन्ध में निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय में साझेदारी के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही किया जा सकता। इस चरण में वर्णित समस्त तथ्य जिसमें भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी द्वारा मिलकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से खरीदना एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पास होना प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 चौकीदारी के लिए नियुक्त करना आदि सभी तथ्य बनावटी व असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते व कब्जें व स्वामित्व की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार से फार्म हाउस काठने या किसी भी अन्य प्रकार से इस भूमि के सम्बन्ध में कोई स्कीम चलाने या अवैध रूप से कोई इकरार आदि करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। बिना अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी को भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने या योजना बनाने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं काल्पनिक आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते व कब्जें की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 को कोई भी योजना बनाना व उसके सम्बन्ध में साझेदारी करना एवं बिना अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की सहमति के अन्य व्यक्तियो के साथ कोई भी व्यवहार करना गैर कानूनी है। यदि प्रार्थी इस सम्बन्ध में ऐसा कोई कृत्य करता है तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के विरूद्ध धोखाधडी से सम्बन्धित फौजदारी मुकदमें दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी द्वारा कोई भी व्यवहार किया जाना विविध रूप से अवैधानिक है उसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि के सम्बन्ध में किया गया कोई भी कार्य अवैध माना जावेगा। जिससे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कोई भी लेना देना नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। जैसाकि निवेदन किया जा चुका हैं। भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते व कब्जें की भूमि है जिसमें अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का हित निहित नही है। यदि प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि के सम्बन्ध में कोई अवैध सौदे या अनुबंन्ध किन्ही अन्य व्यक्तियो के साथ किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। क्योकि भूमि से प्रार्थी को या अन्य किसी व्यक्ति को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा कभी कोई अनुमति नही दी है, जिससे वह अन्य व्यक्तियो के साथ कोई व्यवहार कर सके । इस भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी का कोई लेना नही रहा है, जो भी भुगतान विकय प्रतिफल अथवा निर्माण खर्च किया गया है वह समस्त अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ही किया गया है अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। यदि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 मे मध्य कोई सोझेदारी हो तो प्रार्थी को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए, प्रार्थी को भूमि के सम्बन्ध में कोई भी वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। विशेष रूप से जबकि भूमि के प्रतिफल का भुगतान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से किया गया है भूमि पर स्वामित्व व खातेदारी अधिकार व कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास है इस प्रार्थना पत्र व वाद पत्र से सिर्फ यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध षडयंत्र करके जबरदस्ती अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसको को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इस चरण में अंकित तथ्य झुठे मुकदमें दर्ज कराने आदि का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। जैसाकि निवेदन किया जा चुका है भूमि को मूल खातेदारो से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

अपनी स्वअर्जित आय से बैंक खाते से चेक द्वारा भुगतान करके क्रय किया गया है एवं भूमि पर वास्तविक कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से भूमि की देखभाल के लिए नियुक्त है। प्रार्थी या अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य क्या विवाद है एवं क्यो इस भूमि के सम्बन्ध में उनके मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में कोई भी अनुतोष माननीय न्यायालय से अप्रार्थी संख्या 2 से 5 से प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। क्योकि भूमि का समस्त प्रतिफल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपनी स्वअर्जित आय जो बैंक में जमा थी उसके माध्यम से चेक द्वारा भुगतान किया गया है। भूमि का कब्जा व स्वामित्व अप्रार्थी सं02 व 3 के पास है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, बिना कब्जें व स्वामित्व के कोई प्रथम दृष्टिया वाद अथवा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना अस्वीकार है प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

विशेषः कथनः–

1. यह कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति जन जाति के खाते की भूमि है जिस पर गैर अूसूचित जाति जन जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार से घोषणा प्राप्त करने का धारा राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान के कारण अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में वाद व प्रार्थना प्रत्र प्रथम दृष्टिया ही खारिज होने योग्य है।
2. यह कि प्रार्थी का सारा वाद व प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ किसी साझेदारी को लेकर तथ्य अंकिय किये गये है लेकिन साझेदारी के सम्बन्ध में केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय पारित किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय में वाद पोषणीय नही है।
3. यह कि प्रार्थना संख्या 2 व 3 के पक्ष में पारित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एक वैधानिक दस्तावेज है जिसको केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, अतः प्रार्थी को उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करमाया जावे।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर नकल जमाबन्दी खाता सं0 348 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 349 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 350 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 146 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076 की प्रतियाँ पेश।

बकुलाए बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 348 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076 में सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति मीणा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी खाता सं0 349 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076 में पवन कुमार मीणा पुत्र कन्हैयालाल मीणा हिस्सा– 1/2 जाति मीणा नि. लाडनिया तह0 खानपुर जिला झालावाड़ खातेदार, सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा.म.नं. 42 पत्रकार परिसर महावीर नगर प्रथम कोटा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी खाता सं0 350 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076 में सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा.म.नं. 42 पत्रकार परिसर महावीर नगर प्रथम कोटा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी खाता सं0 146 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2076 में नानुराम पुत्र गणपत हिस्सा 1/8, भैरूलाल पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/4, मुकुटबिहारी पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/5, सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 17/40 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 रिकार्डड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी सं0 2 व 3, जो विवादित आराजीयात के रिकार्डड खातेदार दर्ज रिकार्ड है की होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी (राज.)

Scanned with CamScanner